

State council of
Educational Research
And Training, Raipur (C.G.)



राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर (छ.ग.)

Tele Fax : +910771 2443596, Ph.: 2443297
E-mail : scert_raipur@yahoo.co.in

क्र./ परिषद्/योग शिक्षा प्रशि./2011-12/1860 रायपुर दिनांक 10/06/2011

प्रति,

आयुक्त,
जन सम्पर्क विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय : अभिरूचि की अभिव्यक्ति 'प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बाबत।

सत्र 2011-12 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित स्रोत व्यक्तियों को राज्य स्तर पर योग प्रशिक्षण माह जुलाई/अगस्त 2011 से आरंभ किया जाना है। इच्छुक पंजीकृत योग संस्थान संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर में अपना आवेदन 25/6/11 दोपहर 2.00 बजे तक जमा कर सकेंगे। आवेदन 25/6/11 को ही 3 बजे खोले जायेंगे। प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक अर्हताएँ, अनुभव, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में 200.00 रुपये मात्र (दो सौ रुपये) का क्रासड बैंक ड्राफ्ट जो संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर (छ.ग.) के नाम देय होगा, जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं नियमावली एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> से भी डाउन लोड कर संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर छ.ग. के नाम से रु. 200.00 मात्र के क्रासड बैंक ड्राफ्ट के साथ भी जमा किया जा सकता है।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर

अभिरुचि का अभिव्यक्ति हेतु नियम एवं शर्तें –

सत्र 2011-12 के लिए राज्य स्तरीय योग प्रशिक्षण के संबंध में संस्थाओं के चयन के आधार एवं नियम –

1. प्रशिक्षण लगभग 120 एवं 150 स्त्रोत व्यक्तियों को दिया जाना है। जिनमें महिला प्रतिभागी भी होंगे। प्रशिक्षण 3 से 4 सत्रों आयोजित किया जायेगा।
2. संस्था को योग प्रशिक्षण का कम से कम 3 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए।
3. प्रशिक्षण देने वाले सदस्य पंजीकृत योग संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. संस्था को प्रत्येक प्रशिक्षण में कम से कम 03 योगाचार्य/विशेषज्ञ रखने होंगे जिनमें से कम से कम 1 महिला विशेषज्ञ का होना आवश्यक है।
5. प्रशिक्षण का स्वरूप प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। सभी योग विशेषज्ञों को दिन के प्रत्येक सत्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा।
6. प्रशिक्षण अवधि लगातार 8 दिवसीय होगी। प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश नहीं होगा।
7. प्रतिदिन षट्कर्म होगा, प्रथम सत्र प्रातः 6 से 7 बजे आसन व प्राणायाम से प्रारंभ होगा। द्वितीय सत्र सैद्धांतिक चर्चा, ज्ञानवर्धक सत्र व साहित्यिक चर्चा हेतु सुनिश्चित होगा। सायं 6 से 7 बजे तक आसन व प्राणायाम का सत्र होगा, भोजनोपरान्त रात्रि 9.00 से 10.00 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न होगा।
8. योग प्रशिक्षण राज्य स्तर में पूर्णतः आवासीय होगा। प्रशिक्षण हेतु समय विभागचक्र परिषद् द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
9. चयनित योग विशेषज्ञों को नियमों व शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण देना होगा।
10. प्रशिक्षण की मानीटरिंग परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर मानदेय में कटौती किया जायेगा।
11. संस्था के चयन के लिए जो मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी उसमें अधिकतम 70 प्रतिशत अंक तकनीकी योग्यता अनुभव इत्यादि के लिए एवं अधिकतम 30 प्रतिशत अंक वित्तीय प्रस्ताव हेतु निर्धारित किया जायेगा।
12. प्रत्येक संस्था को 2 लिफाफा पद्धति में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रथम लिफाफे में केवल तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षको की योग्यता, अनुभव, संस्था द्वारा पूर्व में दिये गये प्रशिक्षण इत्यादि के विवरण संबंधी अभिलेख रखें जाने होंगे। दूसरे लिफाफे में केवल प्रत्येक 8 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु चाही गई राशि का विवरण देना होगा।
13. प्रशिक्षण देने हेतु विशिष्ट रुचि रखने वाले योगाचार्य दिनांक 14.06.2011 को समय दोपहर 2.00 बजे तक 200.00 रु. का क्रासड बैंक ड्राफ्ट, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के नाम पर जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
14. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम होगा।
15. प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. को होगा।

संचालक

योग शिक्षा प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र
सत्र 2011-12

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक का नाम अंग्रेजी
- के केपिटल अक्षरों में
3. आवेदक की जन्मतिथि
4. शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं / स्नातक
- / स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
5. योग एवं प्राणायाम सिखाने के अनुभव
- (वर्षों में) प्रमाण पत्र संलग्न करें
6. उपयुक्त योग संबंधी अनुभव
- प्रमाण पत्र संलग्न करें
7. योग संस्थानों व योगश्रमों के नाम / 1.
- पंजीयन एवं मो. न. का उल्लेख करें 2.
3.
4.
8. योग हेतु विशेष उपलब्धि का उल्लेख करें
9. पत्र व्यवहार का पता
-
10. स्थायी पता
-
11. प्रशिक्षण देने की पद्धति का उल्लेख करें
-

सहपत्र –

- 1.....
- 2.....
- 3.....

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम.....
पता / मो.न.....
दिनांक.....

**संस्था के योग प्रशिक्षकों का विवरण (प्रथम लिफाफे में)
सत्र 2011-12**

1. आवेदक का नाम
2. आवेदित संस्था का नाम अंग्रेजी में
(कैपिटल लेटर में)
3. पंजीयन की तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
4. स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र की
अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
5. योग एवं प्राणायाम प्रशिक्षण प्राप्त
करने वाली संस्था का नाम (वर्षों में प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. उपर्युक्त योग संबंधी प्रमाण-पत्र
संलग्न करें
7. योग हेतु विशेष उपलब्धि का उल्लेख करें
8. पत्र व्यवहार का पता
9. स्थायी पता
10. प्रशिक्षण देने की पद्धति का उल्लेख करें
11. दूरभाष क्रमांक

सहपत्र :

1.
2.
3.
4.

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम

पता

मो.नं.

दिनांक

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
(सील मुद्रा सहित)

निविदत्त दर (दूसरे लिफाफे में)

अंकों में

शब्दों में

संस्था के संचालक / अधिकृत प्रतिनिधि
का हस्ताक्षर